बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

कोविड– 19 के बढ़ते संक्रमण की स्थिति से निपटने हेतु राज्य सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित राशन कार्डधारियों के अलावा वैसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है को जीविका, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चिन्हित कर सूची तैयार की जा चुकी है एवं e-PDS में प्रविष्टि किया जा रहा है। उक्त नये चिन्हित परिवारों में से पात्र लाभुकों को नियमानुसार नये राशन कार्ड निर्गत करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0–4306 दिनांक 22.04.2020 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत राशन कार्ड के निर्गमन एवं संशोधन से संबंधित सेवाओं हेतु पूर्व से निर्धारित समय–सीमा एवं शर्तों में संशोधन किया गया है इसके आलोक में निम्नलिखित आदेश दिये जाते है :–

1. जीविका प्रोत्साहित ग्राम संगठनों द्वारा योग्य स्वयं सहायता समूह से जुड़े परिवारों का प्रपत्र 'क' एवं 'ख' के अनुसार आवेदन पत्र तैयार किये जाऐंगे।
2. आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित आवासीय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति या आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित संबंधित ग्राम संगठन द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की छायाप्रति मान्य होगा। आर0टी0पी0एस0 नियमावली में संशोधन के तहत् ग्राम संगठनों द्वारा अनुसंशित समूह सदस्यों का आवासीय प्रमाण–पत्र भी मान्य होगा।
3. प्रपत्र 'क' के क्रमांक–10 के संबंध में शपथ–पत्र अथवा जीविका के समुदायिक संगठनों (ग्राम संगठन) के माध्यम से प्राप्त आवेदन के मामले में आवेदक का स्वःघोषित शपथ–पत्र जिसका एप के माध्यम से लिया गया फोटो या मूल दस्तावेज की छायाप्रति मान्य होगी।
4. सपूर्ण परिवार का तीन फोटोग्राफ अथवा जीविका के सामुदायिक संगठनों (ग्राम संगठनों) द्वारा निर्धारित एप से लिया गया फोटो भी मान्य होगा।
5. ग्राम संगठन द्वारा प्रपत्र 'क' एवं 'ख' के अनुलग्नक के रूप में परिवार के सभी सदस्य जिनका नाम आवेदन पत्र में है, का आधार एवं मुख्य आवेदक का बैंक खाता जिससे आधार जुड़ा हो के पृष्ठ जिसपर खाता संख्या, आई0एफ0 एस0सी0 कोड और नाम स्पष्ट रूप से अंकित हो की छायाप्रति संग्रहित किया जाएगा।
6. जीविका के प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा प्रपत्र 'क' एवं 'ख' तथा संबंधित दस्तावेज संग्रहित कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 15.05.2020 तक समर्पित किया जाय एवं सभी प्राप्त आवेदनों के विरूद्व आर0टी0पी0एस0 संख्या अंकित करना सुनिश्चित करेंगे।
7. प्रपत्र 'क' एवं 'ख' के आवेदनों को अनुमंडल पदाधिकारी अपने स्तर पर विहित प्रक्रियानुसार स्वीकृत/अस्वीकृत करेंगे ।
8. पुराने राशन कार्ड में संशोधन हेतु अनुलग्नक –01 में वर्णित जानकारी मान्य होगी।
9. प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा गैर जीविका परिवारों का प्रपत्र 'क' एवं 'ख' के अनुरूप आवेदन निर्धारित समय–सीमा के अन्दर तैयार किया जाना है।
10. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आवेदन प्रपत्र 'क' एवं 'ख' जीविका के प्रखंड कार्यालयों को उपलब्ध करायी जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा तत्काल नहीं उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में जीविका अपने स्तर से मुद्रित करावाकर आवेदन लेने का कार्य आरंभ करेंगे।

11. एन0आई0सी0 द्वारा स्वीकृत सूची जीविका एवं अनुमंडल पदाधिकारी से साझा किया जाएगा ताकि इसके अनुरूप आवेदन लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

अनु0:– यथोक्त।

04/05/2020

(बालामुरूगन डी0)
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जीविका

04/05/2020

(पंकज कुमार पाल)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– प्र06–विविध–32/2011 –1951– खाद्य, पटना/दिनांक– 04.05.2020

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

04/05/2020
सरकार के सचिव

ज्ञापांक– प्र06–विविध–32/2011 –1951– खाद्य, पटना/दिनांक– 04.05.2020

प्रतिलिपि – सभी जिला पदाधिकारी/अपर जिला दंडाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/ जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका एवं श्री शैलेश सिन्हा, एन0आई0सी0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/05/2020
सरकार के सचिव

D:\YEAR = 2020\SEC = 06 (SIX)\Abhi-06.doc

अनुलग्नक - I

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक–22.04.2020

संख्या–18 / लो०से०अ०–12–01 / 2016(खण्ड) **4306** / बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 4, 2011) की धारा–3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–11960 एवं 11961 दिनांक–15.09.2017 (अधिसूचना संख्या–19431 दिनांक–23.12. 2013 द्वारा प्रतिस्थापित) (समय–समय पर यथा संशोधित) द्वारा खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की नई सेवाओं को संशोधित करते हुए तुरत के प्रभाव से प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिसूचना के परिशिष्ट–1 के क्रमांक–07 पर अंकित–(**I**) नये राशन कार्ड का निर्गमन(क एवं ख) (**II**) राशन कार्ड में संशोधन(क एवं ख) को राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार से संशोधित करते हुए प्रतिस्थापित किया जाता है :–

क्र0 सं0	विभाग का नाम/सेवा का नाम		नामनिर्दिष्ट लोक सेवक	सेवा हेतु समय सीमा	अपीलीय प्राधिकार	प्रथम अपील के निष्पादन हेतु सीमा	पुनर्विलोकन प्राधिकार	द्वितीय अपील के निष्पादन हेतु समय सीमा
1	2		3	4	5	6	7	8
1	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। (i) नये राशन कार्ड का निर्गमन	(क) प्राप्त आवेदनों के जांचोपरान्त अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापन	प्रखंड विकास पदाधिकारी	15 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 2 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस
		(ख) अनुशंसा के साथ प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षानुसार सत्यापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामले में 7 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस

अनुलग्नक । (5)

2	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग। (ii) राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/ नाम जोड़ना/ नाम हटाना)	(क) प्राप्त आवेदनों के जांचोपरान्त अनुशंसा के साथ अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापन	प्रखंड विकास पदाधिकारी	15 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 2 कार्य दिवस	अनुमंडल पदाधिकारी	21 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति मे जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	15 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस
		(ख) अनुशंसा के साथ प्राप्त होने के पश्चात् अपेक्षानुसार सत्यापन एवं निर्णय	अनुमंडल पदाधिकारी	15 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस	जिला पदाधिकारी	21 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति मे जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस	प्रमंडलीय आयुक्त	15 कार्य दिवस कोविड–19 की विशेष परिस्थिति में जीविका के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामलें में 7 कार्य दिवस

2. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन उक्त सेवाओं को प्राप्त करने हेतु आवश्यक कागजात (चेक लिस्ट) प्रपत्र–I संलग्न है।

3. विभागीय अधिसूचना सं0–11960 एवं 11961 दिनांक–15.09.2017 की शेष कंडिकाएँ यथावत् रहेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

संख्या–18/लो0से0अ0–12–01/2016(खण्ड)सा0प्र0 4306 /पटना 15 दिनांक–22.04.2020

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0–सी.डी.।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

संख्या–18/लो0से0अ0–12–01/2016(खण्ड)सा0प्र0 4306/पटना 15 दिनांक–22.04.2020

प्रतिलिपि– सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक–21.04.2020 के मद संख्या–12 के रूप में स्वीकृत प्रस्ताव के संदर्भ में/अपर मिशन निदेशक, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी, पटना एवं विभागीय आई.टी मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

22.4.2020
सरकार के अवर सचिव।

आवेदन के साथ जमा किए जाने वाले आवश्यक कागजात (चेक लिस्ट)

सेवा का नाम	चेक लिस्ट
1. नये राशन कार्ड का निर्गमन	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र ''क'' में अथवा जीविका के सामुदायिक संगठनों द्वारा निर्धारित एप (mobile app) के माध्यम से प्रपत्र 'क' अनुसार प्राप्त आवेदन (इसकी प्रिंटेड प्रति संबंधित प्रखण्ड के RTPS केंद्र को उपलब्ध करायी जाएगी)। 2. सभी सदस्यों के आधार कार्ड की छायाप्रति अथवा जीविका के सामुदायिक संगठनों द्वारा निर्धारित एप (mobile app) के माध्यम से खींचा गया आधार कार्ड का फ़ोटो। 3. बैंक खाता के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति जिसपर खाताधारी का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम, बैंक का IFSC Code रहता है अथवा जीविका के सामुदायिक संगठनों द्वारा निर्धारित एप (mobile app) के माध्यम से खींचा गया इन दस्तावेजों का फ़ोटो। 4. आवासीय प्रमाण पत्र अथवा जीविका, सामुदायिक संगठन (ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संघ) का प्रमाण पत्र, जिसका निर्धारित एप के माध्यम से फ़ोटो खींचा जाएगा। 5. प्रपत्र ''क' के क्रमांक-10 अथवा 11 जो लागू हो के के संबंध में शपथ पत्र अथवा जीविका के सामुदायिक संगठनों के माध्यम से प्राप्त आवेदन के मामले में आवेदक का स्वघोषित शपथ पत्र जिसका एप के माध्यम से फ़ोटो खींचा जाएगा। 6. सम्पूर्ण परिवार का तीन फोटोग्राफ अथवा जीविका के सामुदायिक संगठनों द्वारा निर्धारित एप (mobile app) के माध्यम से खींचा गया फ़ोटो। नोट: - जीविका के सामुदायिक संगठनों द्वारा निर्धारित एप (mobile app) के माध्यम से प्राप्त आवेदनों के मामले में प्रपत्र ''क' के क्रमांक-10 के क्रम में दिए जाने वाले शपथ पत्र के स्थान पर समर्पित स्व-घोषणा शपथ पत्र पर किए गए हस्ताक्षर को सम्पूर्ण आवेदन हेतु आवेदक का हस्ताक्षर के रूप में मान्य माना जाएगा।
2. राशन कार्ड में संशोधन (नाम में संशोधन/ नाम जोड़ना/नाम हटाना)	1. आवेदन पत्र विभागीय प्रपत्र ''ख'' अथवा जीविका के सामुदायिक संगठनों द्वारा निर्धारित एप (mobile app) के माध्यम से प्रपत्र 'ख' अनुसार मात्र राशन कार्ड में नये नाम जोड़ने (नये जन्म एवं मृत्यु के आवेदनों को छोड़कर) हेतु प्राप्त आवेदन (इसकी प्रिंटेड प्रति संबंधित प्रखण्ड के RTPS केंद्र को उपलब्ध करायी जाएगी)। 2. व्यक्ति जिसका नाम जोडा जाना है, के आधार कार्ड की छायाप्रति 3. विभागीय आवेदन प्रपत्र ''ख'' के क्रमांक-8 एवं 9 के संबंध में लागू कारण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति यथा- i. निवास में परिवर्तन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र अथवा जीविका, सामुदायिक संगठन (ग्राम संगठन/ संकुल स्तरीय संघ) का प्रमाण पत्र। ii. जन्म/मृत्यु का प्रमाण पत्र। iii. राशन कार्ड मे वर्णित अशुद्धियो जिनको शुद्ध किया जाना है, के लिए सरकारी प्रमाण पत्र (सरकारी विद्यालय का प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, वोटर आई0 कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, आदि।

अनुलग्नक 1(ब)

Government of Bihar
General Administration Department
(Notification)

संख्या–18 / लो0से0अ0–12–01 / 2016(खण्ड)सा0प्र0................... / अधिसूचना संख्या– 4306 / दिनांक–22.04.2020 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत–संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –
(कन्हैया लाल साह)
सरकार के अवर सचिव।

No-18/Lo.Se.A.-12-01/2016(Part)-4307 / In exercise of the power conferred by the Section-3 of Bihar Right to Public Services Act ,2011 (Bihar Act,4,2011) two new services of Food & Consumer protection Department, Bihar have been added and substituted by Notification no.-11960 & 11961 Dated-15-09-2017. serial no.-7 of Appendix-I of above mentioned notification-I issuance of New ration card – II rectification of ration card, the State Government has amended and substituted as follows with immediate effect :-

S. No.	Name of the Department/Service		Namely Specified Public Servant	Stipulated Time for Service	Appellate Authority	Stipulated Time for Disposal of First Appeal	Reviewing Authority	Stipulated Time for Disposal of Second Appeal
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Food and Consumer protection Department. (i) Issuance of New Ration Card	(A) Put up with recommendation before sub-Divisional officer after scruitene of received applications	Block Development Officer	15working days	Sub- Divisional Officer	21 working days	District Magistrate	15 working days
				Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika-2 working days		Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days		Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days
		(B) Required verificiton and decision after receiving with recommendation	Sub-Divisional Officer	15 working days	District Magistrate	21 working days	Divisional Commissi oner	15 working days
				Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days		Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days		Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days
	Food and Consumer protection Department. (ii) Rectification of Ration Card (Rectification in name /addition or deletion of name)	(A) Put up with recommendation before sub-Divisional officer after scruitene of received applications	Block Development Officer	15 working days	Sub- Divisional Officer	21 working days	District Magistrate	15 working days
				Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -2 working days		Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days		Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days

User/hp/Pankaj/Act Rule 8 ...

अनुलग्नक 1(e)

		(B) Required verification and decision after receiving with recommendation	Sub-Divisional Officer	15 working days	District Magistrate	21 working days	Divisional Commissi oner	15 working days
				Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days		Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days		Under the special circumanstances due to Covid-19, regarding application received through Zeevika -7 working days

2. Two avail these services Under The Right to Bihar Public Services Act, 2011 the check list Performa-I to be attached herewith.

3. Remaining Colums of Notification no.-11960 & 11961 Dated-15-09-2017 shall be inforced.

By the Order of Governor of Bihar,

ह0 / –

(Kanhaiya Lal Sah)

Under Secretary to the Government

संख्या–18 / लो0से0अ0–12–01 / 2016(खण्ड)सा0प्र0–4307 / पटना 15 दिनांक–22.04.2020

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, गजट प्रकाशन कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. सहित) राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनु0–सी.डी.।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

22.4.2020

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

अनुलग्नक 2 (a)

प्रपत्र 'क'

लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत नया राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा–9) तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (कंडिका 3 का उपकंडिका 13, 14 तथा कंडिका 4 उपकंडिका 7, 8, 9 द्रष्टव्य)

पारिवारिक फोटो

1. आवेदक का नाम
2. आधार / EID no
3. मोबाईल नं0–
4. आवेदक के पति / पिता का नाम
5. पूर्ण आवासीय पता
6. बैंक का IFSC Code
7. बैंक खाता नं0
8. बैंक तथा शाखा का नाम
9. राशन कार्ड के लिए परिवार के अन्य सदस्यों का विवरण

क्र0	नाम	पति / पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	संबंध
1	2	3	4	5	6	7

आधार/ EID no	मोबाईल नं0	व्यवसाय/सेवा	आमदनी का स्रोत	मासिक आय
8	9	10	11	12

10. <u>ग्रामीण क्षेत्र</u> के आवेदक निम्नलिखित पर हॉ/नहीं, पर टिक लगावे :–
(i) मोटर चालित तिपाहिया/चार पहिया वाहन है, हॉ ☐ नहीं ☐
(ii) मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हॉ ☐ नहीं ☐
(iii) सरकार में पंजीकृत गैर–कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हॉ ☐ नहीं ☐
(iv) परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000/– रू0 से अधिक है, हॉ ☐ नहीं ☐
(v) आयकर देते है, हॉ ☐ नहीं ☐
(vi) व्यावसायिक कर का भुगतान करते है, हॉ ☐ नहीं ☐
(vii) जिस मकान में रहते है, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है, हॉ न☐ ☐
(viii) परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हॉ नहीं ☐ ☐
(ix) दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, हॉ नहीं ☐ ☐
(x) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, हॉ नहीं☐ ☐
(xi) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हॉ ☐ नहीं ☐
अगर है तो उसका विवरण –
(क) किस सेवा में है –
(ख) कहॉ पदस्थापित है –
(ग) कितना मासिक आमदनी है –

11. <u>शहरी क्षेत्र</u> के आवेदक निम्नलिखित पर आवश्यकतानुसार हॉ/नहीं, पर टिक लगावे :–
(i) आयकर अदा करते है, हॉ ☐ नहीं ☐
(ii) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग क, वर्ग ख, वर्ग ग एवं वर्ग घ श्रेणी के सरकारी सेवा (अनु0जाति/अनु0 जनजाति के समूह 'घ' के कर्मी को छोड़कर) में है, हॉ नहीं ☐
अगर ☐ो उसका विवरण –
(क) किस सेवा में है –
(ख) कहॉ पदस्थापित है –
(ग) कितना मासिक आमदनी है –
(iii) व्यवसायिक कर अदा करते है, हॉ ☐ नहीं ☐

(iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व में है, हॉ नहीं ☐ ☐

(v) परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/– रू0 से अधिक है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vi) दो पहिया वाहन, रेफ्रीजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vii) गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हॉ ☐ नहीं ☐

(viii) गृहस्थी में वाशिंग मशीन है, हॉ ☐ नहीं ☐

दिनांक आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
स्थान नाम

घोषणा

महोदया/महोदय

मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियॉ सही हैं। मैंने इसके पूर्व राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है। अगर आवेदन–पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है, तो मैं दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा ।

दिनांक आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
स्थान नाम

पूर्विकताप्राप्त गृहस्थी के अन्तर्गत :–
आवेदन पत्र – स्वीकृत ☐ अस्वीकृत ☐
अस्वीकृत का कारण –

अनुलग्नक -2 (d)

प्रपत्र 'ख'

लोक सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरणो अथवा विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण (Surrender)/रद्द करने के लिए

(राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 (धारा-9) तथा लक्ष्यित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 (कंडिका 3 का उपकंडिका 13, 14 तथा कंडिका 4 उपकंडिका 7, 8, 9) द्रष्टव्य)

पारिवारिक फोटो

1. आवेदक का नाम
2. आधार/ EID no
3. मोबाईल नं0–
4. **आवेदक के पति/पिता का नाम**
5. पूर्ण आवासीय पता
6. विद्यमान राशन कार्ड की सं0–
7. सम्बद्ध जन वितरण प्रणाली विक्रेता का नाम एवं अनुज्ञप्ति सं0–
8. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण का कारण–

   (क) निवास में परिवर्तन –

   (ख) जन्म या मृत्यु –

   (ग) कार्ड में वर्णित ब्योरो में अशुद्धियॉ –

   (घ) अन्य कारण –
9. विद्यमान राशन कार्ड में उपांतरण हेतु विवरणी –

क्र0	नाम	पति/पिता का नाम	लिंग	उम्र	वैवाहिक स्थिति	संबंध
1	2	3	4	5	6	7

Sarthm

आधार/ EID no	मोबाईल नं0	व्यवसाय /सरकारी सेवक	आमदनी का स्रोत	मासिक आय
8	9	10	11	12

10. विद्यमान राशन कार्ड को प्रत्यर्पण/रद्द करने का कारण –

(क) **ग्रामीण क्षेत्र** में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हॉ/नहीं, पर टिक लगावे :–

(i) मोटर चालित तिपाहिया/चार पहिया वाहन है, हॉ ☐ नहीं ☐

(ii) मशीन चालित तीन/चार पहियों वाले कृषि उपकरण है, हॉ ☐ नहीं ☐

(iii) सरकार में पंजीकृत गैर–कृषि उद्योग वाले परिवार वाली गृहस्थी है, हॉ ☐ नहीं ☐

(iv) परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000/– रू0 से अधिक है, हॉ ☐ नहीं ☐

(v) आयकर देते है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vi) व्यावसायिक कर का भुगतान करते है, हॉ ☐ नहीं ☐

(vii) जिस मकान में रहते है, उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवारों और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा है, हॉ नहीं ☐ ☐

(viii) परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि है, हॉ नहीं ☐ ☐

(ix) दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि वाली गृहस्थी है, हॉ नहीं ☐ ☐

(x) कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि वाली गृहस्थी है, हॉ नहीं ☐ ☐

(xi) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है, हॉ ☐ नहीं ☐
अगर है तो उसका विवरण –
(क) किस सेवा में है –
(ख) कहॉ पदस्थापित है –
(ग) कितना मासिक आमदनी है –

(ख) **शहरी क्षेत्र** में प्रवास, जन्म, विवाह, सामाजिक और आर्थिक प्रास्थिति में परिवर्तन के कारण आवेदक निम्नलिखित पर हॉ/नहीं, पर टिक लगावे :–

(i) आयकर अदा करते है, हॉ ☐ नहीं ☐

(ii) आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 एवं वर्ग 4 श्रेणी के सरकारी सेवा (अनु0जाति/अनु0 जनजाति के Group 'D' के कर्मी को छोड़कर) में है, हॉ नहीं ☐
अगर ☐ उसका विवरण –
(क) किस सेवा में है –
(ख) कहॉ पदस्थापित है –

2/11 –hm –

(ग) कितनी मासिक आमदनी है –

(iii) व्यवसायिक कर अदा करते है, हॉं ☐ नही ☐

(iv) तीन कमरे या उससे अधिक (पक्का) कंक्रीट छतयुक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं की स्वामित्व मे है, हॉं नहीं ☐ ☐

(v) परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000/– रू0 से अधिक है, हॉं ☐ नहीं ☐

(vi) दो पहिया वाहन, रेफ्रीजरेटर तथा वाशिंग मशीन तीनों उपकरण है, हॉं ☐ नहीं ☐

(vii) गृहस्थी में चार पहिया वाहन है, हॉं ☐ नहीं ☐

(viii) गृहस्थी मे वाशिंग मशीन है, हॉं ☐ नहीं ☐

उपरोक्त कंडिका .... के अनुसार विद्यमान राशन कार्ड में आवश्यक उपांतरण किया जाय/कंडिका .... के अनुसार पात्र गृहस्थियों हेतु मानक मानदंड से बाहर हो जाने के कारण विद्यमान राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाय (राशन कार्ड संलग्न)

दिनाक

स्थान

आवेदक का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

नाम

2आर्डम

अनुलग्नक– 3 (a)

आवासीय प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन पत्र

श्री / श्रीमती / सुश्री...पिता / पति श्री.. आवेदक का आधार संख्या...स्वःप्रमाणित करता / करती हूँ कि मैं (..)........... वर्षों से वार्ड नंबर.......................... ग्राम.............................. पंचायत...............................पोस्ट..थाना.. प्रखंड................................ जिला .... का निवासी हूँ और मेरा या मेरे परिवार में किसी का नाम राशन कार्ड में नहीं है। उपर्युक्त जानकारी गलत होने पर पूर्ण जिम्मेवारी मेरी होगी।

दिनांकः–

आवेदक का हस्ताक्षर

....स्वयं सहायता समूह, ग्राम.................................यह प्रमाणित करता हूँ की आवेदक या आवेदक के घर से श्रीमती....................................... समूह की सदस्य...................................वर्षों से हैं ।

अध्यक्ष

कोषाध्यक्ष

सचिव

अनुलग्नक– 3 (b)

ग्राम संगठन का नामः–

पताः–

आवासीय प्रमाण–पत्र के लिए आवेदन पत्र

प्रमाण पत्र संख्या दिनांक

.... स्वयं सहायता समूह के आधार पर।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... पिता/पति श्री .... पता वार्ड नं0.................. ग्राम .... पोस्ट.................................. पंचायत .... प्रखंड.. थाना .... जिला .... जिनका आधार संख्या .... में/के .... वर्षो से रहते है/निवासी है।

अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव

241-hm

C:\Users\www\Desktop\RTPS Form.doc

अनुलग्नक -(4)

अनुलग्नक – 04

सेवा में,

अनुमंडल पदाधिकारी

....

जिला ....

विषय :– छूटे हुए योग्य परिवारों को जन वितरण प्रणाली से जोड़ने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के आलोक में जीविका प्रायोजित ग्राम संगठनों द्वारा जन वितरण प्रणाली से छूटे हुए गरीब परिवारों (जीविका से जुड़े सदस्य) की प्रपत्र तैयार की गयी है। सूची आवेदन विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0सं0	प्रपत्र का नाम	संख्या	अभियुक्ति
1.	नया राशन कार्ड हेतु– प्रपत्र "क"		पृष्ट संख्या ....
2.	पुराने राशन कार्ड में नाम जोड़ने के संबंध में – प्रपत्र 'ख'		पृष्ट संख्या................
कुल			

उपरोक्त प्रपत्रों को आपके कार्यालय में समर्पित किया जा रहा है। जीविका प्रायोजित ग्राम संगठनों द्वारा 'क' एवं 'ख' तैयार की गयी है एवं प्रथमदृष्टया चयनित परिवार जन वितरण प्रणाली में शामिल होने की योग्यता रखते है। अतः सूचीगत परिवारों को विभागीय जॉच उपरांत जन वितरण प्रणाली से जोड़ने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है।

अतः उपरोक्त सूची में शामिल परिवारों की प्रपत्र 'क' एवं 'ख' एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज अग्रेतर कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

प्रखंड परियोजना प्रबंधक

ज्ञापांक

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी/जिला आपूर्ति पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/जिला परियोजना प्रबंधक, जीविका/प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रखंड परियोजना प्रबंधक

D:\YEAR = 2020\SEC = 06 (SIX)\Abhi-06.doc

प्रपत्र "क" या "ख" के क्रमांक 10 के अनुरूप स्वःघोषणा शपथ–पत्र

मैं .... पिता/पति का नाम ....

ग्राम/पोस्ट .... पंचायत.......................... थाना...........................

जिला .... बिहार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ने हेतु निम्न शर्तों को स्वघोषित करती/करता हूँ :–

1. मेरे घर में तिपाहिया या चार पाहिया वाहन नहीं है।
2. परिवार के किसी सदस्य के पास मशीन चालित तीन पाहिया या चार पाहिया कृषि उपकरण नहीं है।
3. परिवार के किसी सदस्य के द्वारा सरकार में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग को संचालित नहीं किया जा रहा है।
4. परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10000/–रूपये से अधिक नहीं है।
5. परिवार की आय आयकर योग्य नहीं है।
6. परिवार के किसी सदस्य के द्वारा व्यावसायिक कर का भुगतान नहीं किया जाता है।
7. मेरे मकान में सभी कमरों में पक्की दीवार और छत के साथ तीन अथवा अधिक कमरा नहीं है।
8. परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि नहीं है।
9. मेरे परिवार के पास दो अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ अथवा इससे अधिक सिंचित भूमि नहीं है।
10. कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ अथवा इससे अधिक भूमि मेरे परिवार के पास नहीं है।
11. मेरे परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में नहीं हैं।

मैं परिवार सहित यह घोषणा करता/करती हूँ शपथ–पत्र में लिखी गई उपर्युक्त सभी जानकारी सही है। अगर शपथ–पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो तैं दंडात्मक/कानूनी कार्रवाई का भागी होऊँगा/होऊँगी ।

दिनांक   आवेदक का नाम हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

स्थान   नाम